

फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मशिन

प्रलमिस के लयि:

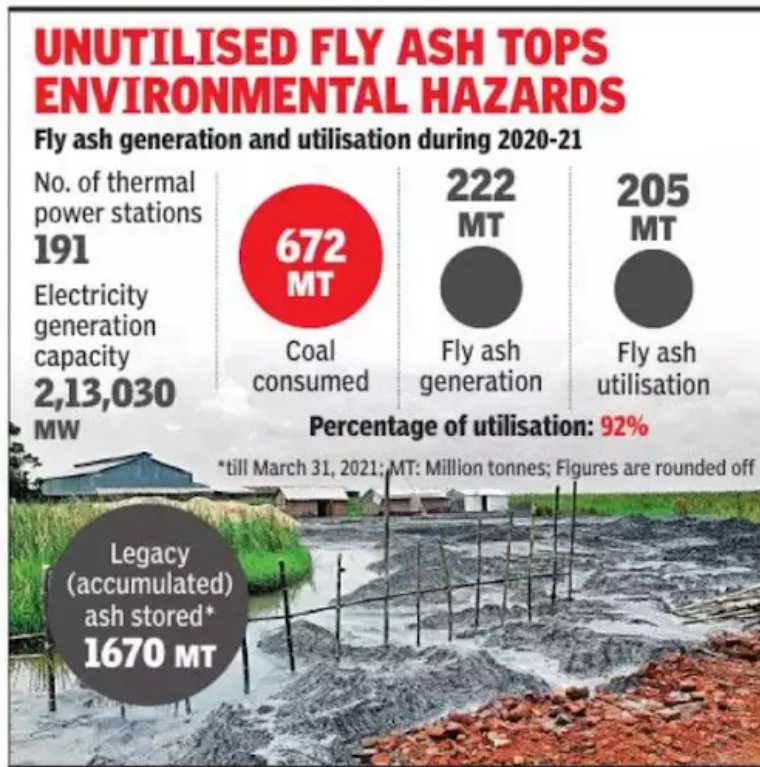
फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मशिन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंटरल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन, रहिंद जलाशय ।

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतियिँ और हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और गरिावट, फ्लाई ऐश एवं संबंधति मुद्दे, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मशिन ।

चरचा में क्योँ?

हाल ही में [राष्ट्रीय हरति अधकिरण](#) (National Green Tribunal - NGT) ने 'फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मशिन' के गठन का नरिदेश दिया है ।



परमुख बडि

परचिय:

- एनजीटी (NGT) कोयला ताप वदियुत स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के 'अवैज्ञानकि संचालन और भंडारण' पर ध्यान देता है ।
- उदाहरण के लयि [रहिंद जलाशय](#) में औद्योगकि अपशषिटों और फ्लाई ऐश की नकिासी ।
- फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मशिन (Fly Ash Management and Utilisation Mission), अपरयुक्त फ्लाई ऐश के वार्षकि स्टॉक के नपिटान की नगिरानी के अलावा यह सुनश्चिति करेगा की 1,670 मलियन टन (accumulated) फ्लाई ऐश का कम-से-कम

खतरनाक तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है और बजिली संयंत्रों द्वारा सभी सुरक्षा उपाय कैसे किये जा सकते हैं।

- मशिन कोयला बजिली संयंत्रों में फ्लाई ऐश प्रबंधन की स्थितिका आकलन करने और व्यक्तिगत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग हेतु रोडमैप बनाने तथा कार्य योजना तैयार करने के लिये एक महीने के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करेगा।

- ये बैठकें एक वर्ष तक प्रत्येक माह आयोजित की जाएंगी।

■ लक्ष्य:

- फ्लाई ऐश और इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन तथा नपिटान हेतु समन्वय एवं नगिरानी करना।

■ प्रमुख और नोडल एजेंसी:

- मशिन का नेतृत्व संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय कोयला और बजिली मंत्रालय के सचिव तथा मशिन से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव करेंगे।
- MoEF&CC के सचिव समन्वय और अनुपालन के लिये नोडल एजेंसी होंगे।

■ फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021 से भन्नि:

- फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021, [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम 1986](#) के तहत जारी की गई थी।
 - कोयले या लिग्नाइट आधारित ताप वदियुत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के भूमि या जल नकियों में डंप करने और नपिटान पर रोक लगाते हुए केंद्र ने ऐसे संयंत्रों हेतु ऐश/राख का 100% उपयोग पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है तथा पहली बार 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत के आधार पर इसका अनुपालन न करने पर दंड व्यवस्था की शुरुआत की है।
 - नए नियमों का अनुपालन न करने वाले वदियुत संयंत्रों पर हर वित्तीय वर्ष के अंत में प्रयोग में न आने वाली ऐश पर 1,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से पर्यावरणीय मुआवजे लगाया जाएगा।
 - [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड \(CPCB\)](#) द्वारा ताप वदियुत संयंत्रों से एकत्र की गई राख का उपयोग अनुपयोगी राख के सुरक्षित नपिटान के लिये किया जाएगा। इसका उपयोग राख आधारित उत्पादों सहित राख के उपयोग पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिये भी किया जा सकता है।
 - ऐसे मामलों में जहाँ विभिन्न गतिविधियों में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है, बजिली संयंत्रों को परियोजना स्थलों पर मुफ्त में फ्लाई ऐश पहुँचाना होगा।
 - हालाँकि बजिली संयंत्र राख की लागत और परिवहन के लिये पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार शुल्क ले सकता है, अगर वह अन्य तरीकों से राख का नपिटान करने में सक्षम है।
- दिसंबर 2021 की नई फ्लाई ऐश अधिसूचना में कोयला ताप वदियुत संयंत्रों और उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग एवं कार्यान्वयन की प्रगतिके 'प्रवर्तन, नगिरानी, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग' का प्रावधान किया गया है।
- यह अधिसूचना [CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड \(SPCB\)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों \(PCC\)](#) को इसके तहत जनादेश के प्रभावी कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये ज़िम्मेदार ठहराती है।
- हालाँकि इन वैधानिक नियमों के साथ 'मशिन फ्लाई ऐश' प्रबंधन की ज़िम्मेदारी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी देता है।
- अधिसूचना व्यक्तिगत थर्मल पावर प्लांट के लिये अपने वेब पोर्टल पर राख उत्पादन और उपयोग के बारे में मासिक जानकारी अपलोड करना अनिवार्य करती है।
- दूसरी ओर NGT द्वारा नरिदेशित मशिन सभी हतिधारकों को जानकारी प्रदान करने के लिये तमिही आधार पर MoEF&CC की वेबसाइट पर सभी ताप वदियुत संयंत्रों और उनके समूहों हेतु फ्लाई ऐश उपयोग में रोडमैप और प्रगति उपलब्ध कराएगा।

फ्लाई ऐश

■ परिचय:

- फ्लाई ऐश (Fly Ash) प्रायः कोयला संचालित वदियुत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषक है, जिसे दहन कक्ष से निकास गैसों द्वारा ले जाया जाता है।
- इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटटर या बैग फिल्टर द्वारा निकास गैसों से एकत्र किया जाता है।
- [इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटटर \(ESP\)](#) को एक फिल्टर उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग प्रवाहित होने वाली गैस से धुएँ और धूल जैसे महीन कणों को हटाने के लिये किया जाता है।
- इस उपकरण को प्रायः वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों के लिये प्रयोग किया जाता है।
- संयोजन:** फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO₂), एल्युमीनियम ऑक्साइड (Al₂O₃), फेरिक ऑक्साइड (Fe₂O₃) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) शामिल होते हैं।

■ गुण:

- यह पोर्टलैंड सीमेंट के समान दखिता है परंतु रासायनिक रूप से अलग है।
 - पोर्टलैंड सीमेंट का नरिमाण एक महीन पाउडर के रूप में संयोजनकारी सामग्री है जो चूना पत्थर और मट्टी के मशिरण को जलाने तथा पीसने से प्राप्त होता है।
 - इसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्युमिनाइट और कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट शामिल हैं।

■ प्रमुख विशेषता:

- एक सीमेंट युक्त सामग्री वह है जो जल के साथ मश्रति होने पर कठोर हो जाती है।
- **अनुप्रयोग:** इसका उपयोग कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों, रोड बेस, मेटल रकवरी और मिनरल फलिर आदि में किया जाता है।
- **हानिकारक प्रभाव:** फ्लाई ऐश के कण जहरीले वायु प्रदूषक हैं। वे हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं।
 - ये जल के साथ मिलने पर भूजल में भारी धातुओं के नक्षालन का कारण बनते हैं।
 - ये मृदा को भी प्रदूषित करते हैं और पेड़ों की जड़ विकास प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
 - राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT) द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-2021 के दौरान फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की सारांश रिपोर्ट के अनुसार, पछिले कुछ वर्षों में इस उप-उत्पाद के सकल अल्प-उपयोग के कारण 1,670 मिलियन टन फ्लाई ऐश का संचय हुआ है।

■ संबंधित पहलें:

- वर्ष 2021 में '[नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन](#)' (NTPC) लिमिटेड ने फ्लाई ऐश की बिक्री के लिये 'एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटररेस्ट' (EOI) आमंत्रित किया था।
- 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन' ने फ्लाई ऐश की आपूर्ति के लिये देश भर के सीमेंट नरिमाताओं के साथ भी गठजोड़ किया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नई नरिमाण प्रौद्योगिकियों (उदाहरण के लिये फ्लाई ऐश ईटों का उपयोग) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो अभिनव, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा के प्रति लचीले हैं।
 - यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने भी अपनी फ्लाई ऐश उपयोग नीतियाँ प्रस्तुत की हैं जैसे- इस नीति को अपनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था।
- सरकार द्वारा फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की नगिरानी के लिये एक वेब पोर्टल और "[ऐश ट्रैक](#)" (ASHTRACK) नामक एक मोबाइल आधारित ऐप लॉन्च किया गया है।
- फ्लाई ऐश और उसके उत्पादों पर [जीएसटी](#) की दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

लाला लाजपत राय की जयंती

प्रलिमिंस के लिये:

लाला लाजपत राय, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन

मेन्स के लिये:

लाला लाजपत राय और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

- लाला लाजपत राय की जयंती प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाई जाती है।

If I had the power to influence Indian journals, I would have the following headlines printed in bold letters on the first page: Milk for the infants, Food for the adults and Education for all.



प्रमुख बडि

■ जन्म:

- उनका जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फरीज़पुर ज़िले (Ferozepur District) के धुडीके (Dhudike) नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था।

■ परचिय:

- लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।
- उन्हें 'पंजाब केसरी' (Punjab Kesari) और 'पंजाब का शेर' (Lion of Punjab) नाम से भी जाना जाता था।
- उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की।
- वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज (Arya Samaj) में शामिल हो गए।
- उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म के आदर्शवाद, राष्ट्रवाद (Nationalism) के साथ मलिकर धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State) की स्थापना करेगा।
- बपिनि चंदर पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मलिकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तकड़ी (लाल-बाल-पाल) बनाई।
- वे हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha) से भी जुड़े थे।
- उन्होंने छुआछूत के खिलाफ वरिध प्रदर्शति कथि।

■ योगदान:

◦ राजनीतिक:

- वे भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress- INC) में शामिल हो गए और पंजाब के कई राजनीतिक आंदोलनों में हस्सि लथि।
- राजनीतिक आंदोलनों में हस्सि लेने के कारण उन्हें वर्ष 1907 में बर्मा भेज दिया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुछ महीनों बाद वे वापस लौट आए।
- उन्होंने बंगाल विभाजन का वरिध कथि।
- उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका (Home Rule League of America) की स्थापना की और इसके द्वारा अमेरिका में अंतराष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लथि नैतिक समर्थन मांगा।
- वह **अखलि भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस** (All India Trade Union Congress) के अध्यक्ष भी रहे।
- उन्होंने वर्ष 1920 में कॉन्ग्रेस के **नागपुर अधविशन** में गांधी जी के असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement) का समर्थन कथि।
- उन्होंने **रोलैट एक्ट** (Rowlatt Act) और **जलियावाला बाग हत्याकांड** (Jallianwala Bagh massacre) का वरिध कथि।
- उन्हें वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उप नेता चुना गया।
- वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था।

◦ सामाजिक:

- उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मशिनरियों के चंगुल से बचाने के लिये वर्ष 1897 में हिंदू राहत आंदोलन (Hindu Relief Movement) शुरू किया।
- उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी (Servants of People Society) की स्थापना की।

◦ साहित्य:

- उनके द्वारा लिखित महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में यंग इंडिया, इंग्लैंड डेबट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवद्गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिप्रेस्ड ग्लासेस और अमेरिका का यात्रा वृत्तान्त शामिल हैं।

◦ संस्थागत कार्य:

- उन्होंने हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कॉन्ग्रेस, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंध समिति जैसे कई संस्थानों एवं संगठनों की स्थापना की।
- वह आर्य गजट के संपादक थे, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी।
- वह वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के सह-संस्थापक थे।

▪ मृत्यु:

- 1928 में वह लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन वरिध का नेतृत्व कर रहे थे, जब पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा उन पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया जिससे लगी चोटों के चलते कुछ सप्ताह बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।

स्रोत: पी.आई.बी

पदोन्नति में आरक्षण हेतु मापदंड निर्धारण से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार

प्रलिस के लिये:

आरक्षण, पदोन्नति, सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इंदिरा साहनी केस, एम नागराज केस

मेन्स के लिये:

नरिणय और मामले, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे, पदोन्नति में आरक्षण और इससे संबंधित विभिन्न मामले।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये मापदंड तय करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय का यह फैसला देश भर में दाखिल उन याचिकाओं पर दिया गया है, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण देने के तौर-तरीकों पर और स्पष्टता की मांग की गई थी।

प्रमुख बिंदु

▪ सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

◦ डेटा एकत्र करने हेतु 'कैंडर':

- न्यायालय ने पदोन्नति कोटा देने हेतु मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य से इकाई के रूप में 'कैंडर' का निर्धारण किया है, न कि वर्ग, समूह या संपूर्ण सेवा।
- न्यायालय ने कहा कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित डेटा संग्रह पूरी 'सेवा' के संदर्भ में किया जाता है, तो पदोन्नति में आरक्षण की पूरी कवायद नरिथक हो जाएगी।

◦ कोई मापदंड नहीं:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रश्न निर्धारित करने के लिये संबंधित राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिये और न्यायालय प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है।

◦ **‘बी.के. पवतिरा’ वाद (2019) के नरिणय को रद्द करना:**

- मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिये इकाई के रूप में ‘कैडर’ की मान्यता के साथ न्यायालय ने ‘बी.के. पवतिरा’ वाद (2019) के नरिणय को रद्द कर दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिमूहों के आधार पर डेटा के संग्रह को मंजूरी देने वाला नषिकर्ष ‘नागराज और जरनैल सहि’ वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नयिमों के विपरीत है।
- न्यायालय ने माना कि ‘नागराज और जरनैल सहि’ वाद के फैसले का ‘प्रत्याशति प्रभाव’ होगा।

◦ **समीक्षा का आदेश:**

- सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पदोन्नति में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के उद्देश्य से डेटा के संबंध में समीक्षा की जानी चाहिये।
- हालाँकि न्यायालय ने राज्यों के लिये समीक्षा करने हेतु “उचित” समय तय करने का नरिणय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है।

■ **पृष्ठभूमि:**

◦ **पदोन्नति में आरक्षण:**

- 1950 के दशक से केंद्र और राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के पक्ष में पदोन्नति में सीटें आरक्षित करने की नीति का पालन कर रही हैं क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं में नरिणय निर्माण प्रक्रिया के स्तर पर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

◦ **इंदरा साहनी वाद 1992:**

- पदोन्नति में आरक्षण की इस नीति को [इंदरा साहनी बनाम भारत संघ 1992](#) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और शून्य माना गया क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं में भरती के समय केवल प्रवेश के स्तर पर अनुच्छेद 16 (4) के तहत राज्य को पछिड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है।
- [77वें संविधान संशोधन अधिनियम](#) द्वारा अनुच्छेद 16(4A) को शामिल किया गया।

◦ **एम नागराज वाद 2006:**

- इस मामले में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इंदरा साहनी मामले (1992) में अपने पूर्व नरिणय को पलट दिया, जिसमें उसने एससी/एसटी (जो ओबीसी पर लागू था) को क्रीमी लेयर की अवधारणा में बाहर कर दिया था।
- SC ने संविधानिक संशोधनों जिसके द्वारा अनुच्छेद 16 (4A) और 16 (4B) को जोड़ा गया था यह कहते हुए बरकरार रखा कि वे अनुच्छेद 16 (4) से संबंधित हैं तथा ये अनुच्छेद की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं करते हैं।
- इसने सार्वजनिक रोजगार में एससी और एसटी समुदायों के लोगों की संख्या को बढ़ाने हेतु तीन शर्तें भी रखीं:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पछिड़ा होना चाहिये।
- सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव हो।
- आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करेगी।

- न्यायालय ने कहा कि सरकार अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों हेतु पदोन्नति में कोटा तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि विशेष समुदाय पछिड़ा हुआ, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से लोक प्रशासन की समग्र दक्षता प्रभावित नहीं होगी।

- सरकार की राय मात्रात्मक आँकड़ों पर आधारित होनी चाहिये।

◦ **जरनैल सहि वाद 2018:**

- जरनैल सहि मामले (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज फैसले को एक उच्च पीठ को संदर्भित करने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में यह कहकर अपने नरिणय को बदल दिया कि राज्यों को SC/ST समुदायों के पछिड़ेपन के मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- न्यायालय ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के सदस्यों के लिये ‘परिणामी वरिष्ठता के साथ त्वरित पदोन्नति’ प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया था।

आरक्षण में पदोन्नति हेतु संविधानिक प्रावधान:

- संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पछिड़े वर्गों के पक्ष में नयिक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 16(4A) के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी

प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

- **अनुच्छेद 16 (4B):** इसे 81वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें एक विशेष वर्ष के रक्ति SC/ST कोटे को अगले वर्ष के लिये स्थानांतरित कर दिया गया।
- **अनुच्छेद 335:** के अनुसार, सेवाओं और पदों को लेकर SC और ST के दावों पर विचार करने हेतु विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें बराबरी के स्तर पर लाया जा सके।
- 82वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 ने अनुच्छेद 335 में एक शर्त सम्मिलित की जो कि राज्य को किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

वधायकों के एक वर्ष के नलिंबन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

प्रलिस के लिये:

अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 194, संविधान की मूल संरचना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 (A), संसद के सदनों से संबंधित प्रावधान।

मेन्स के लिये:

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, शक्तियों का पृथक्करण, सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 वधायकों (MLAs) के एक वर्ष के नलिंबन को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक वर्ष के लिये नलिंबन 'असंवैधानिक तथा काफी हद तक अवैध और तर्कहीन' था।

प्रमुख बडि

■ वधायकों (MLAs) के नलिंबन के बारे में:

- वधायकों को OBCs के संबंध में डेटा के खुलासे को लेकर विधानसभा में दुरव्यवहार करने के लिये नलिंबित किया गया था।
 - नलिंबन की चुनौती मुख्य रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खंडन और नरिधारित प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर नरिभर करती है।
 - नलिंबित 12 वधायकों ने कहा है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और नलिंबन की इस प्रक्रिया ने संविधान के [अनुच्छेद 14](#) के तहत कानून के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया।
 - **महाराष्ट्र विधानसभा का नयिम 53:** इसके तहत "अध्यक्ष किसी भी सदस्य को तुरंत विधानसभा से बाहर जाने का नरिदेश दे सकता है यदि कोई उसके नरिणय का पालन करने से इनकार करता है या उसकी राय में उसका आचरण घोर उच्छृंखल है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य:
 - शेष दिन की बैठक में स्वयं अनुपस्थित रहता हो।
 - यदि किसी सदस्य को उसी सत्र में दूसरी बार नलिंबन का आदेश दिया जाता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष उस सदस्य को "किसी एक विशेष अवधि के लिये सत्र से अनुपस्थित रहने का नरिदेश दे सकता है, जो कि सदन की शेष अवधि से अधिक नहीं हो सकता।
- **महाराष्ट्र विधानसभा का तर्क:**
 - **अनुच्छेद 212:** सदन ने अनुच्छेद 212 के तहत अपनी वधायी क्षमता के भीतर कार्य किया तथा न्यायालयों के पास वधायिका की कार्यवाही की जाँच करने का अधिकार नहीं है।
 - अनुच्छेद 212 (1) के तहत "किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा"।
 - **सीटों की रक्ति:** राज्य ने यह भी कहा है कि यही सदस्य 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होता है तो भी यह सीट स्वतः रक्ति नहीं होती है, बल्कि

सदन द्वारा ऐसा घोषित करने पर ही यह सीट रक्ति होती है।

- साथ ही यह भी कहा गया था कि सदन ऐसी सीट को रक्ति घोषित करने के लिये बाध्य नहीं है।

■ **अनुच्छेद 194:** राज्य ने **सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों पर अनुच्छेद 194** का भी उल्लेख किया और तर्क दिया है कि इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को सदन की अंतर्निति शक्तियों के माध्यम से नलिंबित किया जा सकता है।

- राज्य द्वारा इस बात से भी इनकार किया गया है कि किसी सदस्य को नलिंबित करने की शक्त का प्रयोग केवल अधिनसभा के नियम 53 के माध्यम से किया जा सकता है।

■ **सर्वोच्च न्यायालय के तर्क:**

- **तर्कहीन नलिंबन:** अधिनसभा में व्यवस्था बहाल करने के लिये किसी सदस्य के नलिंबन को अल्पकालिक या अस्थायी, अनुशासनात्मक उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- इससे अधिक कुछ भी तर्कहीन नलिंबन होगा।

- **वपिक्ष में हेरफेर:** इसने कहा कि एक कम बहुमत वाली गठबंधन सरकार वपिक्षी दल के सदस्यों की संख्या में हेरफेर करने के लिये इस तरह के नलिंबन का इस्तेमाल कर सकती है।

- वपिक्ष अपने सदस्यों को लंबी अवधि के लिये नलिंबित किये जाने के डर से सदन में चर्चा/बहस में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पाएगा।

- **संवधान की मूल संरचना का उल्लंघन:** अधिनसभा में पूरे एक साल तक नलिंबित विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होने से **संवधान की मूल ढाँचा** प्रभावित होगा।

- **संवैधानिक आवश्यकता:** पीठ ने संवधान के **अनुच्छेद 190 (4)** का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है, "यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य साठ दिनों की अवधिक सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रक्ति घोषित कर सकता है।"

- **वैधानिक आवश्यकता:** **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 151 (ए) के तहत "किसी भी रक्ति को भरने के लिये वहाँ एक उप-चुनाव, रक्ति होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा"।

- इसका मतलब है कि इस धारा के तहत निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र छह महीने से अधिक समय तक प्रतिनिधि के बिना नहीं रह सकता है।

- **समग्र निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करना:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक वर्ष का नलिंबन प्रथम दृष्टया असंवैधानिक था, क्योंकि यह छह महीने की सीमा से अधिक था और यह केवल "सदस्य को दंडित करना नहीं, बल्कि समग्र निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करने" जैसा है।

- **सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रश्न:** सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रश्न पर हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है कि क्या न्यायापालिका सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है।

- हालाँकि संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय ने पिछले निर्णयों में स्पष्ट किया है कि सदन द्वारा किये गए असंवैधानिक कृत्य के मामले में न्यायापालिका हस्तक्षेप कर सकती है।

संसद सदस्य के नलिंबन के प्रावधान:

- लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत नियम 373, 374, और 374A में उस सदस्य के नलिंबन का प्रावधान है जिसका आचरण 'बेहद अव्यवस्थित' है और जो सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है या उसके कामकाज में जान-बूझकर बाधा डालता है।
- इन नियमों के अनुसार अधिकतम नलिंबन 'लगातार पाँच बैठकों या शेष सत्र, जो भी कम हो' के लिये हो सकता है।
- नियम 255 और 256 के तहत राज्यसभा से भी अधिकतम नलिंबन शेष सत्र से अधिक नहीं है।
- इसी तरह के नियम राज्य विधानसभाओं और परिषदों पर भी लागू हैं, जो सत्र के शेष समय से अधिक नहीं हो सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

‘जलीय कृषि’ में ‘केज कल्चर’

प्रलिमिंस के लिये:

‘जलीय कृषि’ में केज कल्चर, मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित पहलें ।

मेन्स के लिये:

‘जलीय कृषि’ के तहत ‘केज कल्चर’ का महत्त्व और संबंध चुनौतियाँ, नीली क्रांति।

चर्चा में क्यों?

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के हस्तिसे के रूप में “केज एक्वाकल्चर इन रज़िस्वायर: स्लीपिंग जाइंट्स” वषिय पर एक वेबिनार का आयोजन किया ।

- भारत सरकार के तहत मत्स्य पालन वभिग ने ‘प्रधानमंन्त्री मत्स्य संपदा योजना’ (PMMSY) के तहत ‘केज कल्चर’ जलीय कृषि को बढावा देने हेतु नविश लक्ष्य नरिधारति कयि है ।



परमुख बढि

■ परचिय:

- ‘केज एक्वाकल्चर’ के तहत मौजूदा जल संसाधनों के भीतर ही मत्स्यपालन शामिल होता है, जबकयिह एक केज/पजिरे के माध्यम से संलग्न होता है जो पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमतदिता है ।
- यह एक जलकृषि उत्पादन प्रणाली है, जो फ्लोटिंग फ्रेम, जाल और मूरगि ससिस्टम (रस्सी, बोया, लंगर आदि के साथ) से बनी होती है, जसिमें बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ने और पालने के लयि एक गोल या चौकोर आकार का तैरता हुआ जाल शामिल होता है और इसे जलाशय, नदी, झील या समुद्र में स्थापति किया जा सकता है ।
- ‘केज एक्वाकल्चर’ के तहत प्राकृतिक धाराओं का उपयोग करने के लयि इसे इस तरह से तैनात किया जाता है, जो मछली को ऑक्सीजन तथा अन्य उपयुक्त प्राकृतिक स्थितियों प्रदान करते हैं ।

■ ‘केज कल्चर’ के कारण:

- मछली की बढती खपत, जंगली मछलियों के घटते स्टॉक और खराब कृषि अर्थव्यवस्था जैसे कारकों ने ‘केज कल्चर’ में मछली उत्पादन में रुचिबिढा दी है ।
- कई छोटे या सीमति संसाधन वाले कसिान पारंपरिक कृषि फिसलों के विकल्प तलाश रहे हैं ।
- केज कल्चर प्रणाली में प्राप्त होने वाले उच्च उत्पादन को देखते हुए यह भारत में समग्र मछली उत्पादन को बढाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिा सकता है ।

■ महत्त्व:

- भूमि पर मत्स्य पालन की बाधाओं को दूर करता है
- यह मौजूदा जल नकियों में मत्स्य पालन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अर्थात् ऑक्सीजन युक्त जल के नरितर प्रवाह की आवश्यकता को दूर करती है ।
- कम-से-कम कार्बन उत्सर्जन
- ‘केज कल्चर’ एक कम प्रभाव वाली कृषि पद्धति है जसिमें उच्च रटिर्न और कम-से-कम कार्बन उत्सर्जन गतिविधि होती है ।

■ वसितार के अवसर:

- एक्वाकल्चर तेज़ी से वसितार करने वाला उद्योग प्रतीत होता है और यह छोटे पैमाने पर भी अवसर प्रदान करता है।
- **भारत की लंबी तटरेखा का बेहतर उपयोग:**
 - भारत की लंबी तटरेखा के किनारे स्थित तटीय राज्यों में उपलब्ध विशाल लवणीय जल के क्षेत्र और अन्य कम उपयोग वाले जल नकियों का बेहतर उपयोग 'केज कल्चर' को अपनाकर किया जा सकता है।
- **वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करता है:**
 - चूँकि निवेश कम होता है और इसके लिये बहुत कम/बलिकूल भी भूमिक्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, कृषि का यह तरीका छोटे पैमाने के मछुआरों के लिये एक वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में आदर्श है।
 - इसे एक घरेलू/महिला गतिविधिकी रूप में लिया जा सकता है क्योंकि इसमें शामिल श्रम न्यूनतम है और इसे एक छोटे परिवार द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है।
 - केज और उसके सहायक उपकरण का डिज़ाइन किसान की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सकता है।
- **चुनौतियाँ:**
 - केज में बंद मछलियों को दिया जाने वाला चारा पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिये और ताज़ा रखा जाना चाहिये।
 - लो डीऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉल्यूम (LODOS) एक सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिये यांत्रिक वातन (mechanical aeration) की आवश्यकता हो सकती है।
 - नेट केज फाउलिंग।
 - बरबर्ता या अवैध शिकार एक संभावित समस्या है।
 - नेवगेशन संबंधी मुद्दे।
 - अप्रयुक्त भोजन और मल के संचय से जल प्रदूषण के साथ-साथ सुपोषण भी होगा।
 - जल गुणवत्ता मानकों में परिवर्तन।
 - स्थानीय समुदाय के भीतर संघर्ष।
 - जलीय स्तनधारियों और पक्षियों द्वारा पूर्वानुमान।
 - पलायन।
 - पजिरों में जलीय जीवों की भीड़भाड़।

मत्स्य पालन से संबंधित पहलें:

- [मत्स्य सेतु](#)
- [मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड \(FIDF\)](#)
- [नीली क्रांति](#)
- [समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण \(एमपीईडीए\)](#)
- [किसान क्रेडिट कार्ड \(केसीसी\)](#)

आगे की राह:

- किसानों हेतु अच्छा रटिर्न सुनिश्चित करने के लिये संभावित बाज़ारों सहित जलाशयों में एक **मज़बूत पजिरा संवर्द्धन प्रणाली** (Robust Cage Culture System) की आवश्यकता है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वैज्ञानिकों तथा मत्स्यिकी विभागों को मत्स्य किसानों को प्रेरित करने और लाभ बढ़ाने, इनपुट लागत में कमी लाने, प्रजातियों के विविधीकरण एवं जलाशयों में पजिड़े (केज) के माध्यम से खेती प्रणालियों द्वारा उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिये नवीन तरीकों के साथ-साथ नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- देश के जलाशयों में अच्छी प्रबंधन प्रथाओं का पालन कर और सहायक सेवाएँ प्रदान करके पजिड़े (केज) की जलीय कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

स्रोत: पी.आई.बी.